रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 2007/पौष 18, 1928

No. 14] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 2007/PAUSA 18, 1928

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2007

का.आ. 14(अ).—जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि धारा 3 के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से छः माह के भीतर, अधिसूचना द्वारा, एक योजना बनाएगी;

और जबकि छः माह की उक्त अवधि बीत गई है और कुछ राज्य सरकारें उक्त योजना नहीं बना सकी हैं;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्र सरकार इसके द्वारा धारा 4 की उप-धारा (1) में प्रदत्त अवधि को राज्य सरकार द्वारा धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत योजना बनाने के प्रयोजन से अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से "छः माह" से बढ़ाकर "एक वर्ष" करती है।

[फा. सं. जे-11011/5/2006-एनआरईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2007

S.O. 14(E).—Whereas, Sub-section (1) of Section 4 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act) provides that for the purposes of giving effect to the provisions of Section 3, every State Government shall, within six months from the commencement of this Act, by notification, make a Scheme;

And whereas, the said period of six months has elapsed and some of the State Governments could not make the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 34 of the said Act, the Central Government hereby extends the period provided in Sub-section (1) of Section 4 from "six months" to "one year" from the date of commencement of the Act for the purposes of making a Scheme under Sub-section (1) of Section 4 by the State Government.

[F. No. J-11011/5/2006-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.